

3

व्यवहार्यता अनुदान योजना Viability Gap Funding Scheme

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	शासनादेश सं० तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी) अनुदान योजना 2008	सं० 474/XXVII(7)/2008, देहरादून, दिनांक-17 दिसम्बर, 2008	81-96

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0-सा0नि0)07
संख्या 474/XXVII(7)/2008
देहरादून: दिनांक 17 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिए लोक निजी सहभागिता के प्रोत्साहन हेतु श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता अनुदान योजना 2008 बनाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (वायबिलिटी)
अनुदान योजना 2008

1. प्रस्तावना

- (एक) भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना परियोजनाओं के विकास के लिए अत्याधिक निवेश की आवश्यकता होती है। केवल राज्य सरकार की बजट व्यवस्था से यह संभव नहीं है। इस कमी को दूर करने और निजी क्षेत्र, निगमित एवं संस्थागत संसाधनों तथा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन दक्षता का सहयोग प्राप्त करने के लिए निजी सहभागिता के द्वारा भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापनाओं के विकास के लिए राजस्व अर्जक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।
- (दो) और, उत्तराखण्ड शासन की मान्यता है कि दुर्गम क्षेत्रों, सीमित ग्राहकों, परियोजनाओं की लम्बी अवधि और सीमित प्रतिलाभ के कारण अवस्थापना परियोजनाएं हमेशा ही वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होतीं। सरकार की सहायता से ऐसी परियोजनाओं की व्यवहार्यता (viability) में सुधार किया जा सकता है।
- (तीन) तदनुसार, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लोक निजी सहभागिता के माध्यम से आरम्भ की गई अवस्थापना परियोजनाओं की व्यवहार्यता (viability) में धन की कमी को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. संक्षिप्त नाम और विस्तार :-

यह योजना भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिये लोक निजी सहभागिता के प्रोत्साहन हेतु उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता(viability) अनुदान योजना कहलायेगी। यह एक आयोजनागत परियोजना होगी और इसके लिए वार्षिक योजनाओं में वार्षिक आधार पर समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3. परिभाषाएं :-

- (एक) 'सक्षम प्राधिकारी' से यथा-स्थिति वित्त मंत्री अथवा मुख्यमंत्री अभिप्रेत है;
- (दो) 'सशक्त समिति' (Empowered Committee) से ऐसी समिति अभिप्रेत है, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा। प्रमुख सचिव वित्त, सचिव नियोजन और सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव समिति के अन्य सदस्य होंगे;
- (तीन) 'पर्वतीय क्षेत्रों' से राज्य के निम्नानुसार क्षेत्र अभिप्रेत हैं :-
जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर का सम्पूर्ण भू-भाग। जनपद नैनीताल (हल्द्वानी व रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर) तथा जनपद देहरादून (विकासनगर, डोईवाला, रायपुर व सहसपुर विकासखण्ड को छोड़कर) इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड;
- (चार) 'मुख्य वित्तीय संस्था (Lead Financial Institution)' से लोक निजी सहभागिता योजना की वित्त पोषक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है तथा यदि वित्त संस्थाओं का कोई संघ है, तो संघ द्वारा इस रूप में पदनामित वित्तीय संस्था अभिप्रेत है;
- (पाँच) 'निजी क्षेत्र की कम्पनी' से ऐसी कम्पनी अभिप्रेत है, जिसमें 51 प्रतिशत या अधिक अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश (इक्विटी) किसी निजी संस्था के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हों;
- (छः) 'निजी क्षेत्र की संस्था' में निम्नलिखित का समावेश है :- (क) भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत ऐसी कम्पनी जिसमें 51 प्रतिशत या अधिक शेयर किसी निजी संस्था के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हों;
(ख) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत ऐसी कोई सोसाइटी, जो सरकार के नियंत्रणाधीन न हो;
(ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत कोई न्यास जो सरकार के नियंत्रणाधीन न हो;
- (सात) 'परियोजना अवधि' से लोक निजी सहभागिता परियोजना हेतु संविदा अथवा रियायती करार (concession agreement) अभिप्रेत है;
- (आठ) 'लोक निजी सहभागिता परियोजना' से उपभोक्ता प्रभार के भुगतान पर अवस्थापना सेवा अथवा सामाजिक क्षेत्र की सेवा प्रदान करने के लिये सरकार अथवा सांविधिक संस्था और निजी क्षेत्र की संस्था के बीच संविदा या रियायती करार पर आधारित परियोजना अभिप्रेत है;
- (नौ) 'कुल परियोजना लागत' से सरकार/सांविधिक संस्था द्वारा, जिसके स्वामित्व में परियोजना है, आकलित लागत, मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत लागत तथा व्यय की गई धनराशि किन्तु जिसमें किसी भी दशा में सरकार/सांविधिक संस्था (statutory entity) द्वारा व्यय की गई भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है, लोक निजी सहभागिता परियोजना की कुल पूंजीगत लागत की निम्नतर लागत अभिप्रेत है;
- (दस) 'व्यवहार्यता(viability) अनुदान' से परियोजना को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिये इस योजना के अधीन एकमुश्त या आस्थगित (deferred) या किश्तों में दिया गया अनुदान अभिप्रेत है;

(अ) भारत सरकार की व्यवहार्यता(viability) अनुदान योजना (2005) से अवस्थापना में सहायता हेतु समय-समय पर यथोसंशोधित योजना अभिप्रेत है।

4. पात्रता :-

इस योजना के अधीन वित्त पोषण हेतु पात्रता के लिये लोक निजी सहभागिता परियोजना को निम्नलिखित मानक पूर्ण करने होंगे।

- (एक) निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा जिसका परियोजना अवधि के लिये खुली प्रतिस्पर्धी बोली (निविदा) प्रक्रिया के माध्यम से सरकार अथवा सांविधिक संस्था(statutory entity) द्वारा चयन किया जायेगा तथा जिसके द्वारा परियोजना का कार्यान्वयन अर्थात् विकास, वित्त पोषण, निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रचालन किया जायेगा।
- (दो) भारत सरकार की व्यवहार्यता अनुदान योजना के प्राविधानों के अनुसार भौतिक अवस्थापना के लिये लोक निजी सहभागिता योजना में समस्त पात्र क्षेत्रों (सेक्टर) का समावेश होगा, अर्थात्:-

- (क) सड़कें और पुल, हवाई अड्डे,
- (ख) ऊर्जा,
- (ग) शहरी परिवहन, जलापूर्ति, स्वच्छता, मल-जल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और शहरी क्षेत्रों की अन्य भौतिक अवस्थापना,
- (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों/पदनामित औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना परियोजनाएं, एवं
- (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रों की तथा अन्य पर्यटन अवस्थापना परियोजनाएं।

(तीन) सामाजिक क्षेत्र की अवस्थापना के लिये लोक निजी सहभागिता परियोजना में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किये जा सकते हैं, अर्थात्:-

- (क) सामान्य शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा को भी सम्मिलित किया जा सकता है,
- (ख) तकनीकी शिक्षा,
- (ग) खेलकूद एवं युवा सेवाएं,
- (घ) कला एवं संस्कृति,
- (ङ) चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा,
- (च) श्रम एवं रोजगार,
- (छ) कृषि सेवाएं, कृषि विस्तार तथा कृषि शिक्षा,
- (ज) मृदा एवं जल संरक्षण
- (झ) पशुपालन, पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान शिक्षा,
- (ञ) वानिकी तथा वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण,
- (ट) लघु सिंचाई,
- (ठ) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत,
- (ड) शहरी एवं ग्रामीण विकास, और
- (ढ) महिला एवं बाल विकास।

उपरोक्त सूची पूर्ण नहीं है। सशक्त समिति इस सूची में किसी क्षेत्र/उपक्षेत्र को सम्मिलित या हटाने के लिये प्राधिकृत होगी।

(चार) परियोजना द्वारा पूर्व निर्धारित दर या उपभोक्ता प्रभार के भुगतान के सापेक्ष सेवा प्रदान करनी होगी।

(पाँच) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को कारण सहित निम्नानुसार प्रमाणित करना होगा कि:-

(क) लोक निजी सहभागिता परियोजना के व्यवहार्यता अन्तर को समाप्त करने या कम करने के लिये निर्धारित दर (tariff) / उपभोक्ता प्रभार (user charge) बढ़ाया नहीं जा सकता।

(ख) व्यवहार्यता अन्तर कम करने के लिए परियोजना अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती।

(ग) पूंजीगत लागत युक्तियुक्त है तथा ऐसे मानकों तथा विशिष्टियों पर आधारित है, जो सामान्यतः ऐसी परियोजनाओं पर लागू होती हैं और व्यवहार्यता अन्तर कम करने के लिये पूंजीगत लागत और अधिक सीमित नहीं की जा सकती।

5. व्यवहार्यता अनुदान हेतु परियोजनाएं तैयार करना:-

व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त संस्थाओं अथवा शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रस्ताव सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा विधीक्षित कर प्रस्तुत किये जायेंगे। सशक्त समिति की अनापत्ति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव की चार प्रतियां (हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार की) सशक्त समिति द्वारा निहित (prescribed) प्रपत्र में प्रेषित की जानी चाहियें। प्रस्ताव में परियोजना सम्बन्धी समस्त अनुबन्ध पत्र (यथा प्रवृत्त रियायती करार, राज्य की सहायता सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र, प्रतिस्थापना अनुबन्ध, तृतीय पक्ष की अभिरक्षा में रखा बन्ध पत्र, विलेख, जमा आदि संगठन एवं पद्धति अनुबन्ध पत्र और अंशधारकों के अनुबन्ध) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/सम्भाव्यता रिपोर्ट की प्रतियों का समावेश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया जाए :-

(क) मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा किया गया परियोजना का मूल्यांकन,

(ख) प्रस्ताव/परियोजना के निजी प्रवर्तक तथा चयन प्रक्रिया का विवरण, एवं

(ग) लोक निजी सहभागिता परियोजना आरम्भ करने के तकनीकी दक्षता में सुधार तथा अन्य फायदों का विवरण।

6. मूल्यांकन/सम्भाव्यता रिपोर्ट:-

इस योजना के अधीन परियोजना सम्बन्धी समस्त प्रस्तावों के साथ मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा लोक निजी सहभागिता परियोजना की वित्त पोषक वित्तीय संस्था तथा वित्तीय संस्थाओं के संघ (consortium) की दशा में संघ द्वारा इस रूप में पदनामित वित्तीय संस्था द्वारा किया गया परियोजना मूल्यांकन होना चाहिये।

7. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिये अधिप्राप्ति प्रक्रिया :-

निजी क्षेत्र की संस्था का चयन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में विहित प्रक्रिया के अनुसार पादरशी तथा खुली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। जहां अन्य सभी प्रतिमान समान हैं, बोली लगाने का मानक निजी क्षेत्र की

संस्था द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिये व्यवहार्यता अनुदान की अपेक्षित राशि होगी।

8. योजना/परियोजना की संस्वीकृति/अनुदान:-

- (एक) व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के विचारार्थ एक सशक्त समिति होगी,
(दो) मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे और उसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
(क) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त,
(ख) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, एवं
(ग) सचिव नियोजन-सदस्य सचिव।
(तीन) नियोजन विभाग का लोक निजी सहभागिता परियोजना प्रकोष्ठ योजना के लिये सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
(चार) सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रारम्भिक प्रस्ताव तैयार करेगा और सशक्त समिति के विचारार्थ विभाग के लोक निजी सहभागिता परियोजना प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि पैरा 5 में उल्लिखित है।
(पाँच) सशक्त समिति का सचिवालय प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और यदि अपेक्षित हो तो, सशक्त समिति द्वारा विचारार्थ पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अतिरिक्त सूचना मांगेगा। यदि प्रस्ताव में पूर्ण सूचना नहीं है अथवा सचिवालय द्वारा मांगे जाने के बावजूद अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो सचिवालय द्वारा सशक्त समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रस्ताव सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
(छः) सशक्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व सशक्त समिति सचिवालय वित्त एवं नियोजन विभाग के विचार प्राप्त करेगा।
(सात) सशक्त समिति तत्पश्चात (लोक निजी सहभागिता परियोजना प्रकोष्ठ) नियोजन विभाग तथा वित्त विभाग के विचारों के साथ प्रस्ताव पर विचार करेगी और व्यवहार्यता अनुदान हेतु प्रस्ताव पर अपनी संस्तुतियां करेगी। सशक्त समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने के पश्चात व्यवहार्यता अनुदान के 5.00 करोड़ रुपये से कम होने की दशा में वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा और 5.00 करोड़ से अधिक के मामलों में मुख्यमंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा। यदि लोक निजी सहभागिता परियोजना का प्रस्ताव ऐसे सामाजिक क्षेत्र से है जो कि उपरोक्त पैरा 4(तीन) में निर्दिष्ट नहीं है तो सशक्त समिति वित्त मंत्री के अन्तिम अनुमोदन के अधीन प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर प्रस्ताव पर विचार कर सकती है।
(आठ) समस्त अनुमोदन बजट प्राविधान की उपलब्धता के अधीन होंगे।

9. व्यवहार्यता अनुदान की सीमा :-

- (एक) भौतिक अवस्थापना परियोजनाओं में व्यवहार्यता अनुदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहायता उन परियोजनाओं के लिये केवल अनुपूरक सहायता प्रदान करने तक ही सीमित रहेगी, जो भारत सरकार द्वारा उनकी अवस्थापना में लोक निजी सहभागिता के लिये सहायता योजना जुलाई 2005 (अनुलग्नक) के अधीन अनुमोदित है। ऐसी स्थिति में जहां भारत सरकार परियोजना के व्यवहार्यता के सम्पूर्ण अन्तर की पूर्ति हेतु सहायता प्रदान नहीं करती, वहां राज्य सरकार कुल परियोजना लागत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त व्यवहार्यता अनुदान

प्रदान कर सकती है। भौतिक अवस्थापना में व्यवहार्यता अनुदान से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों के साथ उपरोक्त योजना के अधीन भारत सरकार के अनुमोदन संलग्न होने चाहिये।

- (दो) सामाजिक क्षेत्रों की लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के मामलों में, जैसा कि पैरा-4(तीन) में इंगित है राज्य सरकार परियोजना-लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत (अधिक से अधिक 10.00 करोड़ रुपये) तक व्यवहार्यता अनुदान प्राप्त कर सकती है तथापि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं में अथवा जहां अधिकांश लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हों, सशक्त समिति पृथक-पृथक मामलों में परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 15 करोड़) व्यवहार्यता अनुदान की संस्तुति कर सकती है।
- (तीन) सशक्त समिति किसी विशेष प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर 2(एक) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के प्रतिशत की सीमाओं के अन्दर व्यवहार्यता अनुदान की अधिक राशि की संस्तुति कर सकती है तथा यह वित्त मंत्री तथा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संस्वीकृत की जा सकती है।

10. व्यवहार्यता अनुदान का संवितरण:-

- (एक) संवितरण (disbursement) पूर्व राज्य सरकार मुख्य वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्र की संस्था की ओर से इस योजना के प्रयोजन हेतु एक त्रिपक्षीय करार करेगी। ऐसे त्रिपक्षीय करार का प्रारूप समय समय पर सशक्त समिति द्वारा विहित किया जाएगा।
- (दो) इस योजना के अधीन व्यवहार्यता अनुदान पृथक-पृथक मामलों में सशक्त समिति द्वारा अवधारित किया जा सकता है। सशक्त समिति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के उपरान्त, अनुरोध करने पर, आवश्यक धनराशि प्रशासनिक विभाग के निवर्तन पर रखी जा सकता है।
- (तीन) इस योजना के अधीन व्यवहार्यता अनुदान ऋण से सम्बद्ध तथा सम्पूर्ण परियोजना हेतु पूंजीगत अनुदान के रूप में होगा और प्रशासनिक विभाग द्वारा तीन किस्तों में अवमुक्त किया जाएगा।
- (चार) राज्य सरकार द्वारा पहली किस्त सहायता की 25 प्रतिशत तक प्रवर्तकों द्वारा परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत अंशदान तथा निर्दिष्ट भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात, अवमुक्त की जाएगी। 50 प्रतिशत तक सीमित दूसरी किस्त प्रवर्तक द्वारा परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि के अंशदान के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता की शेष राशि 25 प्रतिशत की अंतिम किस्त परियोजना के पूर्ण रूप से कार्यशील होने के पश्चात अवमुक्त की जाएगी। विशेष प्रकृति की परियोजनाओं के लिए सशक्त समिति व्यय के अनुमानों को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान के संवितरण के कार्यक्रम तथा अनुदान की राशि का पुनरीक्षण कर सकेगी।
- (पाँच) मुख्य वित्तीय संस्था तथा प्रशासनिक विभाग परियोजना के सहमत लक्ष्यों के अनुपालन और कार्य स्तर के नियमित अनुश्रवण और सर्वाधिक मूल्यांकन विशेष रूप से व्यवहार्यता अनुदान की किस्तों के संवितरण के प्रयोजनों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। प्रशासनिक विभाग तथा मुख्य वित्तीय संस्था द्वारा अपेक्षित भौतिक और वित्तीय प्रगति सत्यापित किए जाने के पश्चात

व्यवहार्यता अनुदान की किस्तें अवमुक्त की जाएंगी। मुख्य वित्तीय संस्था को समाधान कर लेना चाहिए कि व्यवहार्यता अनुदान के संवितरण पूर्व निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा परियोजना लागत का अपना अंश व्यय कर दिया गया है।

- (छः) पूंजीगत अनुदान से भिन्न किसी प्रकार की सहायता के लिए प्रस्ताव पर सशक्त समिति द्वारा विचार किया जा सकता है और पृथक-पृथक मामलों में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संस्वीकृत की जा सकती है।
- (सात) पात्र परियोजनाओं को बजट उपलब्ध होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर धन उपलब्ध कराया जायेगा। अन्तर्क्षेत्रिय (sectoral) संतुलन सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्यता अनुदान के अधीन उपलब्ध बजट को क्षेत्रवार नियत करने का अधिकार वित्त विभाग के पास सुरक्षित होगा।
- (आठ) परियोजना के क्रियान्वयन में व्यतिक्रम, निधियों के दुरुपयोग की दशा में अवमुक्त निधि उत्तर प्रदेश लोकधन (देयकों की वसूली) अधिनियम 1972 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन भू-राजस्व के रूप में ब्याज सहित वसूल की जा सकती है।


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 474 / XXVII(7) / 2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
- 6- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
- 7- स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- स्टाफ अफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make English translation of Notification No. 474/XXVII(7)/2008 Dehradun, Dated 17 December, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand
Department of Finance
No. 474/XXVII(7)/2008
Dehradun: Dated: 17 December, 2008

Office Memorandum

For promoting Public Private Partnership in physical and social sector infrastructure, the Governor is pleased to make The Uttarakhand Infrastructure Viability Gap Funding Scheme 2008.

**THE UTTARAKHAND INFRASTRUCTURE VIABILITY
GAP FUNDING SCHEME 2008**

1. Preamble:

- (i.) It is recognized that the development of physical and social infrastructure projects requires very large investment that may not be possible out of the budgetary resources of the State Government alone. In order to remove these shortcomings and to bring in private sector, corporate and institutional resources as well as techno-managerial efficiencies it is proposed to promote revenue generating projects for the development of physical and social sector infrastructure in public private partnerships.
- (ii.) And, whereas, the Government of Uttarakhand recognizes that infrastructure projects may not always be financially viable because of difficult terrain, limited clientele, long gestation periods and limited financial returns. Financial viability of such projects can be improved through Government support.
- (iii.) Accordingly, the Government of Uttarakhand has decided to put into effect the following scheme for providing financial support to bridge the viability gap of infrastructure projects undertaken through Public Private Partnerships.

2. Short Title and Extent:

This scheme will be called the Uttarakhand Infrastructure Viability Gap Funding Scheme for promoting Public Private Partnerships (PPPs) in physical & social

sector Infrastructure. It will be a Plan Scheme and suitable budgetary support will be provided in the Annual Plans on an year-to-year basis.

3. Definitions

- (i.) **'Competent Authority'** means either the Finance Minister or Chief Minister as the case may be.
- (ii.) **'Empowered Committee'** means a committee under the Chairmanship of Chief Secretary, Principal Secretary/Secretary Finance, Secretary Planning and Principal Secretary/Secretary of the concerned Administrative department will be the other members.
- (iii.) **'Hilly Areas'** means following areas of the State as follows.
Entire area of District Pithoragarh, Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag and Champawat, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Almora and Bageshwar. All hilly development blocks in District Nainital (except development blocks of Haldwani & Ramnagar) and District Dehradun (except development blocks of Vikasnagar, Doiwala, Raipur and Sahaspur).
- (iv.) **'Lead Financial Institution'** means the financial institution (FI) that is funding the PPP project, and in case there is a consortium of FIs, the FI designated as such by the consortium.
- (v.) **'Private Sector Company'** means a company in which 51% or more of the subscribed and paid up equity is owned and controlled by a private entity.
- (vi.) **'Private Sector Entity'** includes (1) a company registered under the Indian Companies Act. In which 51 % or more equity is owned and controlled by a private entity (ii) a society registered under the Societies Registration Act. 1860 and not controlled by the Government (iii) a Trust registered under the Indian Trusts Act 1882 and not controlled by Government.
- (vii.) **'Project Term'** means the duration of the contract or concession agreement for the PPP project.
- (viii.) **'Public Private Partnership (PPP) Project'** means a project based on a contract or concession agreement, between a Government or statutory entity on the one side and a private sector entity on the other side, for delivering an infrastructure service or social sector service on payment of user charges.
- (ix.) **'Total Project Cost'** means the lower of the total capital cost of the PPP Project:
(a) as estimated by the government/statutory entity that owns the project. (b) as sanctioned by the Lead Financial institution. and (c) as actually expended; but does not in any case include the cost of land incurred by the government/ statutory entity.

- (x.) **'Viability Gap Funding or Grant'** means a grant one-time or deferred or paid in instalments provided under this Scheme with the objective of making a project commercially viable.
- (xi.) **'VGF scheme of Government of India'** means the Government of India scheme for support to PPP in infrastructure (2005) and as amended from time to time.

4. Eligibility:

In order to be eligible for funding under this Scheme, a PPP project shall meet the following criteria:

- (i.) The project shall be implemented i.e. developed, financed, constructed, maintained and operated for the Project Term by a Private Sector Entity to be selected by the Government or a statutory entity through a process of open competitive bidding.
- (ii.) The PPP Project for physical infrastructure will include all the sectors eligible as per provisions of VGF Scheme of G.O.I. such as:-
 - (a.) Roads and bridges, airports.
 - (b.) Power.
 - (c.) Urban transport, water supply, sanitation sewerage, solid waste management and other physical infrastructure in urban areas.
 - (d.) Infrastructure projects in Special Economic Zones/Designated Industrial Areas.
 - (e.) International convention centers and other tourism Infrastructure projects.
- (iii.) PPP Project for Social Sector infrastructure could include sectors such as:
 - (a.) General Education, including elementary, secondary higher and non formal education;
 - (b.) Technical Education;
 - (c.) Sports and Youth Services;
 - (d.) Art and Culture;
 - (e.) Medical, Public Health, Family Welfare & Medical Education;
 - (f.) Labour and Employment.
 - (g.) Agriculture Services, Agriculture Extension & Agriculture Education;
 - (h.) Soil and Water Conservation;
 - (i.) Animal Husbandry, Veterinary and Animal Sciences Education ;
 - (j.) Forestry and Wild Life; Environment Protection;
 - (k.) Minor Irrigation;
 - (l.) Non-conventional sources of Energy;
 - (m.) Urban and Rural Development;

(n.) Women and Child development;

The aforesaid list is not exhaustive and the Empowered Committee shall be authorized to add or delete sectors/sub sectors from this list.

(iv.) The project should provide a service against payment of a predetermined tariff or user charge.

(v.) The concerned administrative department should certify, with reasons.

(a) That the tariff/user charge cannot be increased to eliminate or reduce the viability gap of the PPP

(b) That the project term cannot be increased for reducing the viability gap and;

(c) That the capital costs are reasonable and based on the standards and specifications normally applicable to such projects and that the capital costs cannot be further restricted for reducing the viability gap.

5. Preparation of Projects for Viability Gap Funding:

(i.) The proposal for Viability Gap Funding shall be prepared and presented to the Secretariat of the Empowered Committee by the concerned Administrative Department. Proposals of govt controlled autonomous organizations or urban/rural local bodies would also be vetted and presented by the concerned Administrative Department. The proposal for seeking clearance of the Empowered Committee should be sent in 4 copies (both in hard & soft form) in the format prescribed by the Empowered Committee. The proposal should include copies of all project agreements (such as concession agreement, state support agreement, substitution agreement, escrow agreement, O&M agreement and shareholders' agreement, as applicable) and the Detailed Project Report/ Feasibility Report (see Rules 3.1 and 5.1) Project Report. In addition, the proposal should have the following:-

(a) Project appraisal carried out by Lead Financial Institution.

(b) Details of private promoter for the proposal/project and selection procedure.

(c) Details of rationale, efficiency improvement, and other benefits of undertaking the project in PPP mode.

6. Appraisal/Feasibility Report:

All project proposals under this scheme must be accompanied by a project appraisal carried out by the financial institution that is funding the PPP project and In case there is a consortium of FIs, the lead FI designated as such by the consortium.

7. Procurement process for PPP Projects:

The Private Sector Entity shall be selected through a transparent and open competitive bidding process as per procedure prescribed in the Uttarakhand Procurement Rules 2008. The criterion for bidding shall be the amount of Viability

Gap Funding required by a Private Sector Entity for implementing the project where all other parameters are comparable.

8. Sanction/approval of scheme/project:

- (i.) There shall be an Empowered Committee to consider the proposals submitted for Viability Gap Funding.
- (ii.) The Committee will be headed by Chief Secretary and will comprise members as under:
 - (a) Principal Secretary/Secretary Finance;
 - (b) Principal Secretary/Secretary of the concerned Administrative Department;
 - (c) Secretary, Planning; Member Secretary
- (iii.) PPP cell of the Planning Deptt will work as Secretariat for the scheme.
- (iv.) The concerned administrative department will prepare the primary proposal for Viability Gap funding and submit it to the PPP cell of the planning department for the consideration of the Empowered Committee as stated in para 5.
- (v.) The Secretariat of the Empowered Committee will examine the proposal and seek additional information, if required for presenting a complete proposal for consideration of the Empowered Committee. In case the proposal does not have the required information or required information is not furnished despite being so asked for by the Secretariat, the Secretariat, with the approval of Chairman of the Empowered Committee, will summarily reject the same
- (vi.) The Secretariat of the Empowered Committee will obtain the comments of the Finance & Planning Department (PPP Cell) before presenting the proposal for the consideration of the Empowered committee.
- (vii.) The Empowered Committee will thereafter consider the proposal along with the views of the Planning Department (PPP cell) and Finance Department and make its recommendations on the proposal for viability gap funding. After receiving the recommendations of the Empowered Committee the approval of Finance Minister will be obtained in cases when Viability Gap Funding is upto Rs. 5 crores. In cases where Viability Gap Funding is more than Rs. 5 Crores approval of Chief Minister shall also be taken.
In case the PPP proposal is from a social sector not specified in the aforesaid Para 4(iii) the Empowered Committee may consider the matter on the merits of the proposal subject to the final approval of the Finance Minister.
- (viii.) All approvals will be subject to availability of budgetary provisions.

9. Extent of Viability Gap Funding

(1) As regards Viability Gap Funding in physical infrastructure projects, the State Govt. Support shall be limited to providing only supplementary support to those projects which have been approved by Govt. of India under their SCHEME FOR SUPPORT TO PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN INFRASTRUCTURE July 2005 (annexure) Accordingly, in Cases where Govt of India support does not cover the entire Viability Gap of the project, State Govt. may provide additional Viability Gap Funding upto a max. of 20% of the total Project Cost. All proposals pertaining to Viability Gap Funding In physical infrastructure should be accompanied with the approvals accorded by the Government of India under the aforesaid Scheme.

(2)(i.) In cases of PPP projects in social sectors as indicated in Para 4(iii), the State Govt. may provide Viability Gap Funding upto a maximum of 33% [Subject to max. of Rs. 10 Crores.] of the Project Cost. However in projects which are located in hilly areas or where majority of the beneficiaries are members of SC/ST, the Empowered Committee may on a case by case basis recommend Viability Gap Funding upto a max. of 50%, of the Project Cost subject to max of Rs. 15 crores.

(ii.) The Empowered Committee may on merits of a particular proposal recommend a higher amount of VGF within the percentage limits of subsidy as specified in (2)(i) and it may be sanctioned with approval of Finance Minister & Chief Minister.

10. Viability Gap Support and disbursement of grant:

- (i.) Prior to disbursement the Administrative Department on behalf of the State Govt the Lead Financial Institution and the Private Sector Entity shall enter into a Tripartite Agreement for the purposes of this Scheme The format of such Tripartite Agreement shall be prescribed by the Empowered Committee from time to time.
- (ii.) Viability Gap Support under this scheme shall be determined by Empowered Committee on a case to case basis. After the approval of the Projects by the EC/Competent Authority necessary funds may be placed at the disposal of Administrative Department on the basis of its request
- (iii.) Viability Gap Funding under this Scheme will normally be in the form of a credit linked and back ended capital grant and would be released In three installment by the Administrative Department through the Lead Financial Institution.
- (iv.) The First instalment, limited to 25% of the assistance to be provided by the State Government will be released only after atleast 25% of the total cost of the project has been contributed by the Private Sector Entity and upon achieving targeted physical milestones. The second instalment, limited to additional 50% of the

assistance to be provided by the State Govt, would be disbursed only after the Private Sector Entity has contributed 50% of the total project cost. The last instalment of balance 25% of the assistance, to be provided by the State Government will be released after the project is fully functional.

In case of Projects of special nature the Empowered Committee shall be authorized to revise the disbursement schedule including the amount of grant to be released keeping in view the expenditure protections of the project.

- (v.) The Lead Financial Institution and administrative department shall be jointly responsible for regular monitoring and periodic evaluation of project compliance with agreed milestones and performance levels, particularly for the purposes of disbursement of instalments of Viability Gap Funding. The instalments of Viability Gap Funding will be released after the administrative department and the lead financial institution jointly verify the required physical and financial progress. The Lead Financial Institution should in particular satisfy itself that prior to disbursement of VGF the Private Sector Entity has expended its share of the project cost.
- (vi.) Proposals for any other form of assistance other than capital grant may be considered by the Empowered Committee and sanctioned with the approval of the Finance Minister and Chief Minister on a case by case basis.
- (vii.) Eligible Projects will be funded on a first come first serve basis subject to availability of budget. The Finance Department will reserve the right to make sectoral earmarking of the budget available under Viability Gap Funding to ensure intersectoral balance.
- (viii.) In case of default in project implementation or misuse of funds, the released fund may be recovered with interest as arrears of land revenue under the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act 1972 as applicable in the State of Uttarakhand.

/

(Alok Kumar Jain)
Principal Secretary, Finance.

No. 474/XXVII(7)/2008, Of dated

Copy to following for Information and necessary action:-

1. Secretary to Hon'ble Governor, Uttarakhand, Dehradun.
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. All Principal Secretary/Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun.

4. Secretary, Legislative Assembly, Uttarakhand, Dehradun.
5. Accountant General, Oberoi Building, Sharanpur Road, Dehradun, Uttarakhand.
6. Commissioner Garhwal/Kumaoun, Uttarakhand.
7. Staff Officer, Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun.
8. Staff Officer, Additional Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun.
9. All Department head & main office head, Uttarakhand
10. All District Magistrate, Uttarakhand.
11. All section of Secretariat
12. Guard File.

By Order,



(Alok Kumar Jain)
Principal Secretary, Finance.